

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-11 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/05/2018-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 4 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केरल सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से, केन्द्र सरकार एतद्वारा सुश्री पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह, आई.ए.एस. (केरल:2017) के दिनांक 14.02.2014 की शारीरिक विकलांगता नीति (शारीरिक विकलांगता) के अनुसार केरल संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में संवर्ग स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली - 110002